फैक्स / ई–मेल

संख्या–जन–93 / छः–पु–5–2021

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

2. पुलिस महानिदेशक,
फायर सर्विस,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

3. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

4. पुलिस आयुक्त,
लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर

5. समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

6. समस्त वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांकः 19 फरवरी, 2021

विषयः प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा आतिशबाजी एवं विस्फोटक के विनिर्माण, भण्डारण, भण्डारण एवं विक्रय, परिवहन के लिए ऑन लाईन लाइसेंस निर्गमन सेवाओं को आम जनमानस तक उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि आम जनमानस से सम्बन्धित सेवाओं, जो जनहित गारण्टी अधिनियम, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत सम्मिलित हैं, को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराया जाना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है।

2– उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जनहित गारण्टी अधिनियम, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत निम्नवत् सेवाओं–आतिशबाजी एवं विस्फोटक लाइसेंसों को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (https://edistrict.up.gov.in) के माध्यम से आम जनमानस के उपयोगार्थ उपलब्ध कराया जाए:–

क्र0	लाइसेंस श्रेणी	क्र0	सेवा का नाम	Name of Service	Licence Form
	आतिशबाजी (फायर क्रैकर्स) लाइसेंस	1.	विनिर्माण लाइसेंस	Manufacturing Licence (not exceeding 15 kilogrammes at any one time)	LE-1
		2.	भण्डारण लाइसेंस	Storage Licence	LE-2
		3.	भण्डारण एवं विक्रय लाइसेंस	Storage and Sale from shop Licence	LE-5
		4.	परिवहन (ट्रान्सपोर्ट) लाइसेंस	Transportatation of Crackers Licence	LE-4
2.	विस्फोटक (एक्सप्लोसिव) लाइसेंस	1.	विनिर्माण लाइसेंस	Manufacturing Licence (not exceeding 15 kilogrammes at any one time)	LE-1
		2.	भण्डारण लाइसेंस	Storage Licence	LE-2, LE3
		3.	भण्डारण एवं विक्रय लाइसेंस	Storage and Sale from shop Licence	LE-5
		4.	परिवहन (ट्रान्सपोर्ट) लाइसेंस	Transportatation of explosives Licence	LE-4

आतिशबाजी / विस्फोटक लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रियाः–

(1) सर्वप्रथम आवेदक ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (https://edistrict.up.gov.in) पर सिटीज़न

ओ0टी0पी0 द्वारा किया जाएगा। सत्यापन के पश्चात् प्रार्थना पत्र का शेष भाग/फॉर्म निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन/जन सेवा केन्द्र पर,आवश्यक संलग्नकों सहित भरा जाएगा। साथ ही आवेदक लाइसेंस से सम्बन्धित क्रूटनी/लाइसेंस फीस चालान के माध्यम से जमा करेगा जिसकी पावती प्रार्थना पत्र के साथ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

(2) जन सेवा केन्द्र पर आवेदक से चयनित लाइसेन्सों के प्रत्येक आवेदन हेतु आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-19/2020/1085/ 78-2-2020-34 आई0टी0/2010 दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 में निहित नियमों के अनुसार धनराशि रू0 30/- यूजर चार्ज लिया जायेगा तथा अगर कोई आवेदक सीधे ई-डिरिट्रक्ट पोर्टल पर लाइसेंस हेतु आवेदन करता है तो उस पर आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-20/2020/1101/78-2- 2020-34 आई0टी0/2010 दिनांक 03 दिसम्बर, 2020 में निहित नियमों के अनुसार धनराशि रू0 15/- यूजर चार्ज लिया जायेगा जिसका भुगतान आवेदक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से करेगा।

(3) ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आतिशबाजी/विस्फोटक लाइसेंस से सम्बन्धित ई-फार्म, चालान की पावती एवं आवश्यक संलग्नको को अपलोड करने के पश्चात इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से आवेदन पत्र जिलाधिकारी की यूजर आई0डी0 पर प्रेषित किया जाएगा।

(4) जिलाधिकारी द्वारा आवेदन को मैनुअल पद्वति से सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा। सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा आवेदन का परीक्षण कर अपनी स्पष्ट रिपोर्ट/आख्या जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। स्वीकृत होने की दशा में जिलाधिकारी द्वारा डिजीटली हस्ताक्षरितआतिशबाजी/विस्फोटक लाइसेंस जारी किया जाएगा जोकि आवेदक की लॉगिन आई0डी0 अथवा जन सेवा केन्द्र संचालक की लॉगिन आई0डी0 पर ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया जाएगा। अस्वीकृत होने की दशा में उसके कारण को उल्लिखित करते हुए अस्वीकृति पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा।

4- कृपया उपरोक्तानुसार वांछित समस्त कार्यवाहियां शीर्ष-प्राथमिकता पर पूर्ण कराते हुये कृत कार्यवाही से शासन को शीघ्र अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक, उ0प्र0 लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
6. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ0प्र0 शासन।
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
8. समस्त उप निदेशक/मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उ0प्र0।
9. गृह (पुलिस) अनुभाग-15, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)